135

ए 201/-

न्यायालय श्रीमान म०प्र० [illegible] ग्वालियर, बैंच-सागर

R-3421-III/14 जिला सागर

1• एक• मातम आयु 55 वर्ष पिता [illegible] रमा कुर्मी

2• दो• विशंभर आयु 50 साल पिता विरमा कुर्मी,

दोनों निवासी ग्राम [illegible] रियानायक तह• र[illegible], जिला सागर

---- रिवीजनकर्ता

• बनाम •

जब्बार खाँ आयु 40 साल पिता मुहम्मद खाँ निवासी ग्राम सिमरिया नायक तह• रहली, जिला सागर [illegible]

-- अनावेदी

"रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•सं• 1959"

रिवीजनकर्ता- श्रीमान तहसीलदार रहली, तहसील रहली, जिला सागर म•प्र• द्वारा ग्राम सिमरियानायक प•हं•नं• 15, तहसील रहली, जिला सागर म•प्र• स्थित भूमि ख•नं• 193/4 व 193/5 के संबंध में रा•प्र•क्र• 63अ/12• वर्ष 2011•12• में पारित [illegible] दिनांक 24•6•13 से परिवेदित होकर [illegible] रिवीजन निम्न [illegible] एवं आधारों पर प्रस्तुत करते है-

- प्रकरण [illegible] -

1• एक• यह कि, [illegible] [illegible] ने श्रीमान तहसीलदार रहली, जिला सागर म•प्र• [illegible] धारा 129 म•प्र•भू•रा•सं• 1959 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत [illegible] सिमरियानायक प•हं•नं• 15 खसरा नंबर 193/4, 193/5 [illegible] 0•49 है• व 0•48 है• का सीमांकन [illegible] ।

2• दो• यह कि, [illegible] उक्त खसरा नंबर 193/5 रकबा 0•48 है• का भूमिस्वामी [illegible] जब्बार खाँ है, जिसने सीमांकन हेतु कोई [illegible] प्रस्तुत नहीं [illegible] था इस प्रकार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3421–तीन/2014 जिला–सागर

माखन व अन्य विरूद्ध जब्बार खां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी तहसीलदार रहली, तहसील रहली, जिला– सागर के प्रकरण क्रमांक 06/अ–12/2011–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 7/3/19	